



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

आवश्यक सूचना
विज्ञापन संख्या-26/2023, अध्यापक नियुक्ति
प्रतियोगिता परीक्षा

विज्ञापन संख्या-26/2023, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात् प्रशासी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु कौंसिलिंग के समय ऑनलाईन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जायेगी जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल, दोनों ही स्वतः रद्द समझी जायेगी।

इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन फार्म भरते समय अपलोड किये गये कागजात/दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार/प्रशासी विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गये सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित Watermark अंकित रहेगा।


अतः उक्त परीक्षा से सम्बन्धित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाईन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/अर्हता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र आयोग के Portal पर Upload नहीं किया गया हो, तो जैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार, पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के Portal पर Upload करेंगे। पुनः आयोग के Portal से वांछित प्रमाण-पत्रों को Download कर, जिस पर आयोग का Watermark होगा, प्रशासी विभाग के द्वारा आयोजित कौंसिलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के Watermark के बिना कोई प्रमाण-पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा।

अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य/दिव्यांगता/आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की जाँच प्रशासी विभाग द्वारा कराई जायेगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, IGIMS, AIIMS से कराई जायेगी चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिये बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है।

जाँच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाये जाने एवम् पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 2374, दिनांक 16-07-2007 एवम् पत्रांक- 6706, दिनांक- 01-10-2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवम् अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जायेंगे। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवम् सेवाशर्त) नियमावली, 2023 की कण्डिका- 7 की उप कण्डिका (iv) में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें

आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही, उप कण्डिका- (v) के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को है। इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 1220, दिनांक 04-08-2023 द्वारा विज्ञापन संख्या- 26/2023 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गयी है कि सम्बन्धित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाय कि यथा सम्भव कम-से-कम 75% रिक्तियाँ भरी जा सकें। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के संशोधन के बिन्दु पर दिनांक 09-08-2023 को आयोग की पूर्ण-पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कण्डिका- 04 चयन प्रक्रिया (i) लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के सम्बन्ध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन "परन्तु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक (निम्नतर पूर्णांक में) अनुशांसा भेजने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय लिया गया।

 17/10/2023

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना